	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज।	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उभय पक्ष [illegible] अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर [illegible] / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दि. 20.10.20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य [illegible] बहिष्कार रखने से पत्रावली दि. 27/10/20 को पेश हो।	
27/10/20	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। [illegible] / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 17.11.20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
17/11/20	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। [illegible] / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दि. 15-12-20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
15/12/20	[illegible] पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से [illegible] / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दि. 24-12-20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
.12.20	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षी सं० 1 से 9 व 11 से 14 के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। वकील प्रार्थी अप्रार्थी सं० 10 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा० प० किया गया। अप्रार्थीगण को कितनी मर्तबा आवाज [illegible] भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया [illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	विपक्षी संख्या 10 हाजिर रहे [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.01.22 17:23:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

[पी]ठासीन अधिकारी–महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

[मुक]दमा संख्या –186/19 प्रा॰पत्र

[न]ारायण सिंह S/o हरिसिंह राजपूत निवासी॰ कवराड़िया त॰ माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

[श्र]ी फतेहसिंह S/o सांवत सिंह राजपूत निवासी॰ कवराड़िया त॰ माण्डल [वगैरा]
(सूचांकित संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 24.12.20

::आदेश::

[प्रार्थ]ी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन [कि]या कि ग्राम कवराड़िया पटवार हल्का कवराड़िया तहसील माण्डल में उसके [खा]ते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 1464, 2178/114, 2179/115 कुल किता 03 रकबा 03 [बी]घा 16 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह [नह]ीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते [की] भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनाक 10.10.19 को पंजीबद्ध किया जाकर [प्रक]रण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से [पत्]थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की [हेरा]–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को [देख]ते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

[प्रार्थ]ी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कवराड़िया पटवार हल्का कवराड़िया तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की [आ]राजी नं. 1464, 2178/114, 2179/115 कुल किता 03 रकबा 03 [बी]घा 16 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये [जा]ने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक आलमास 300/– [रु]पये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा [क]रावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये [र]खते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। ... होने पर पत्थरगढी नहीं की [जा]वें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.01.22 17:23:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाड़ा

[प्र]तिलिपि:– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा फीस जमा कराने पर नियमानुसार [प]त्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस मे प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner